

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2011—आषाढ़ 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

आदेश

फा. क्र. 1308-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, रा. प्र. से., संयुक्त कलेक्टर, छतरपुर को अपर जिला दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.